न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 19/16 **निर्णय दिनांक** 16-11-17

आशिफ शाह पुत्र सादिक शाह जाति मुसलमान निवासी चक 19 केजेडी तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट

–बनाम–

स्टेट ऑफ राजस्थान जरियें पैरोकारराज

–रेस्पोडेन्ट

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 07.03.2000
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः–

1. श्री करण सिंह तंवर, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 07–03–2000 जिसके द्वारा अपीलांट का विशेष आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट ने विशेष आवंटन में आवंटन हेतु चक नम्बर 8 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 83/15 की कुल 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन में आवंटित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि प्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पूर्व में अन्य

को आवंटनशुदा है। न्याय का यह सिद्वान्त है कि किसी कारण से आवंटन नहीं सकता तो अपीलांट को कानूनन विशेष आवंटन का अन्य रकबा आवंटन करना चाहिए था। ना कि अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज करना चाहिए था। इस संबंध में माननीय राज्य सरकार एवं आयुक्त उपनिवेशन के समय समय पर ऐसे आदेश जारी किए हुए है कि गजट में आवेदित भूमि किसी कारण से नहीं दी जा सकती है तो आवेदक को उसी गजट में दूसरी भूमि आवंटन कर दी जावे। अदालत मातहत ने तथ्य पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो काबिल निरस्त है।

पत्रावली में कहीं भी नोटिस जारी करने का आदेश नहीं दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आवंटन नियमों की पूर्णरूप से पालना नहीं की गई है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि कोई भी आदेश पारित करने से पूर्व संबंधित पक्षकार को सुना जाना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार के बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद धोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 07—03—2000 के विरूद्व अपील दिनांक 18—02—16 को पेश की है। जो करीब 16 वर्ष से अधिक विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवेदित भूमि पूर्व में ही अन्य को आवंटनशुदा भूमि है। अतः अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) अपीलांट ने चक नम्बर 8 केजेडी के मुरब्बा नम्बर 83/15 की कुल 25 बीघा भूमि बतौर विशेष आवंटन में आवंटित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र आवंटन अधिकारी के समक्ष पेश किया।

(2) प्रकरण में अपीलांट द्वारा आवेदित विशेष आवंटन का रकबा अपीलांट के आवंटन से पूर्व ही अन्य व्यक्ति को विशेष आवंटन के तहत आवंटित है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा पूर्व में ही अन्य को आवंटनशुदा है तथा अपीलांट अन्य रकबा आवंटन कराने का इच्छुक है तो नियमानुसार विकल्प में अन्यत्र रकबा हेतु आवेदन कर सकता है।

(3) अदालत मातहत द्वारा अपने निर्णय में जब स्पष्ट रूप से अंकित कर दिया गया है, कि यदि अपीलांट अन्य रकबा आवंटन कराना चाहता है तो नियमानुसार अन्यत्र रकबे के लिए आवेदन कर सकता है। लिहाजा ऐसी स्थिति में अपीलांट इस अपील के माध्यम से किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपीलांट अन्य अपीलाधीन आदेश के अनुसार अपीलांट अन्य भूमि के लिए आवेदन करने हेतु स्वतन्त्र है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 07—03—2000 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16-11-12 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर